



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771,- 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-237/1785

रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

- विषय: - **Diversion of Forest land for non-purpose under Forest Conservation act,1980 Proposed for Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power&Ispat Ltd. Have been granted with Mining lease for Iron over an Area - 66.20 ha-regarding.**
- संदर्भ: - छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ 5-18/ 2020/ 10-2 दिनांक 21.09.2020
* * * * *

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण के संबंध में 02 बिन्दुओं पर अद्यतन जानकारी /दस्तावेज प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-


(1) मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के पत्र दिनांक 23/07/2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर के प्रेषित किया गया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र दिनांक 07/09/2020 (छायाप्रति संलग्न) से आवेदक श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि. रायपुर से प्रस्तुत प्लान में माईनिंग के प्रभाव को कम करने एवं वनों को संरक्षित रखे जाने हेतु प्लान में अनुपातिक वृद्धि करते हुए संशोधित प्लान प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।

उक्त के अनुक्रम में आवेदक श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि. रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 25/09/2020 संशोधित प्लान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

(2) प्रस्ताव के पृ.क्र. 166 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित अनुशंसा भाग-4 में उल्लेखित समस्त शर्तों के क्रियान्वयन हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

कृपया प्रकरण में अग्रिम कार्यावाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (04 पृष्ठीय)


अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-18/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक /09/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- Diversion of Forest land for non-purpose under Forest Conservation act, 1980 Proposed for Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & Ispat Ltd. Have been granted with Mining lease for Iron over an Area-66.20 ha. regarding.

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज /331-230/1574 दिनांक 27.08.2020।

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 166 में भाग-4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा सशर्त अनुमोदन दिया गया है। जिसमें निम्नानुसार शर्त क्र. 4 अधिरोपित है :-

"वन्यप्राणी हाथी के प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानों का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किए जाए।"

संदर्भित पत्र में चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 42 में निम्नानुसार लेख किया गया है कि :-

"वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.02.2017 से व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित वन्यप्राणी परियोजना तैयार किया जाकर, मुख्य वन संरक्षक, कांकेर, वृत्त कांकेर को प्रेषित किया गया है।"

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त अधिरोपित शर्त क्र.4 के पालन में वनमण्डलाधिकारी द्वारा (चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 42 में लेख अनुसार) मुख्य वन संरक्षण कांकेर को प्रस्तुत वन्यप्राणी परियोजना का प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अनुमोदन की नियमानुसार अद्यतन स्थिति प्रेषित करें।

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 166 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित अनुशंसा भाग-4 में उल्लेखित समस्त शर्तों के क्रियान्वयन हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं कराया गया है। कृपया उक्त वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर प्रेषित करें।

2/- कृपया उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके पश्चात् प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी. राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

क्रमशः 2

पु.क्रमांक एफ 5-18/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 21/09/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 - ✓ 2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर, वृत्त कांकेर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमण्डलधिकारी, नारायणपुर, वनमण्डल नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
 4. आवेदनकर्ता, मेसर्स बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझरा, उरलाक-गुमा रोड़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Vijay Lal
अवर सचिव 21.9.2020

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkanker3@gmail.com

(07868) 222014

(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./ 2020/

1867

कांकेर, दिनांक 23/7/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(वन्य प्राणी)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :- मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माईनिंग) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. पहुँच मार्ग 9.02 हे. कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा के तहत वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन बाबत।

संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल के पत्र क्रमांक/मा.चि./3073 दिनांक 16.07.2020



विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माईनिंग) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. पहुँच मार्ग 9.02 हे. कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा के लिए 05 वर्षीय वन्य प्राणी संरक्षण योजना Shri Ashok Masih (IFS) Retd. Addl. P.C.C.F. द्वारा तैयार कराकर वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल के संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य प्राणी संरक्षण योजना के लिए निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण योजना 04-04 प्रतियों में आपके अनुमोदनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- वन्य प्राणी संरक्षण योजना

04-04 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

कांकेर, दिनांक 23/7/2020

पृ. क्रमांक/मा.चि./ 2020/

1868


प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नया संयोजक
संयोजक सं. सं. सं. सं.
संयोजक सं. सं. सं. सं.
संयोजक सं. सं. सं. सं.



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता
संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, पथान तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

apccfwildlife@gmail.com

(फ़ोन 0771-2512880, 0771-2512853)

क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/प्रबंध-406/3194

नवा रायपुर, दिनांक 67/08/2020
09

प्रति,

मेसर्स बजरंग पावर
एण्ड इस्पात लि., रायपुर
ई-मेल : sahil.batra@goelgroup.co.in

विषय :- मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा नारायणपुर वनमण्डल के ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माइनिंग) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. पहुंच मार्ग 9.02 हे. कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा के तहत वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन विषयक ।

संदर्भ :- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर का पत्र क्र. 1867 दिनांक 23.07.2020.

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से नारायणपुर वनमण्डल के ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माइनिंग) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. पहुंच मार्ग 9.02 हे. कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा के तहत वन्यप्राणी संरक्षण योजना की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना का परीक्षण किया गया। योजना में 22220.11 हे. का वृहद एरिया प्रभावित हो रहा है लेकिन प्रस्तुत प्लॉन में SMC कार्य हेतु 350 हे., प्लांटेशन हेतु 20 हे. फलदार पौधारोपण हेतु 20 हे. एवं चारागाह विकास हेतु 20 हे. लिया गया है जो कि अत्यंत कम है। अतः SMC कार्य में अनुपातिक वृद्धि किया जावे इसी प्रकार जलस्रोत विकास हेतु भी कम प्रावधान किया गया है, जिसमें भी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

अतः प्रस्तुत प्लॉन में माइनिंग के प्रभाव को कम करने एवं वनों को संरक्षित रखे जाने हेतु प्लॉन में अनुपातिक वृद्धि करते हुए संशोधित प्लॉन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरुण पाण्डेय) मा.व.सं.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

*Acharya's/forest
No discuss to M. V. S.
and get it amended
as desired by CWLW.*

दिनांक 25.09.2020

एस.बी.पी.आई.एल./2020-21/2091

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन,
प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा नारायणपुर वनमण्डल के
ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माइनिंग) जिला नारायणपुर में
प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. पहुंच मार्ग 9.02 हे. कुल 66.02 खनिपट्टा
के तहत वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन विषयक।

संदर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/प्रबंध-406/3194, नवा
रायपुर, दिनांक 07.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि, नारायणपुर वनमण्डल के ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर
आयरन ओर माइनिंग) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. पहुंच मार्ग 9.02 हे.
कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा के तहत वन्यप्राणी संरक्षण योजना की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया
गया था। आपके द्वारा प्रस्तुत प्लान में एस.एम.सी कार्य हेतु अनुपातिक वृद्धि किये जाने की मांग
की गयी है।

अतः प्लान में अनुपातिक वृद्धि करते हुये संशोधित प्लान आपके कार्यालय में 7 मूलप्रति में
अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

महोदय से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।


सधन्यवाद

कृते, श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड,

एस के गोयल

डायरेक्टर

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।




वचन पत्र

हम वचन देते हैं कि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा भाग-4 में वर्णित नारायणपुर वनमण्डल के ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268, 269, वर्तमान में 2185, 2184, 2180, 2179 में कुल रकबा 57.00 हे. वन भूमि खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा एवं कक्ष क्रमांक पी-2217, पी-2226, 2182, 2181, 2180, 2184, 2183, 2188 के 9.020 हे. पहुँच निर्माण के लिये कुल 66.020 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु, निम्न शर्तों का पालन हमारे द्वारा किया जायेगा।

1. खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु गैस सप्लाई की जायेगी ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े।
2. इस खदान में कार्यकरने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण किया जायेगा ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।
3. सेप्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जायेगी, जिससे वन की सुरक्षा हो सके।
4. वन्य प्राणी हाथी के प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की जायेगी। जिसके प्रवधानों का क्रियावयन हमारे के व्यय पर किया जायेगा।

Shri Bajrang Power & Ispat Ltd.


Director Authorised Signatory
वचनकर्ता के हस्ताक्षर